संख्या-25/2017/712/सैंतीस-2-2017-1(2)/2013टीसी

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-08 मई, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-25/सा0-एक/एक्स-120(7)/पा.क्ली.क्रिया./2017-18, दिनांक-27.04.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार लेखानुदान अवधि हेतु क्रमशः रू0-141.66 लाख एवं रू0-4.17 लाख इस प्रकार कुल रू0-145.83 लाख (रूपये एक करोड़ पैंतालिस लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक/मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
2403-पशुपालन- **101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-** **07-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण**	
01-वेतन	123.21
03-मंहगाई भत्ता	6.16
06-अन्य भत्ते	4.80
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.25
29-अनुरक्षण	0.83
39-औषधि तथा रसायन	2.08
42-अन्य व्यय	1.25
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	2.08
योग-	**141.66**
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय- **101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-** **11-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण**	
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	**4.17**
महायोग-	**145.83**

(रूपये एक करोड़ पैंतालिस लाख तिरासी हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय/उपयोग योजना उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।
4. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि क्रय ऐसी फर्मों से ही किया जाय जो जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत हों तथा विगत् वर्ष तक जिनका आयकर रिटर्न व वैट टैक्स पूर्णरूपेण जमा हो।
5. मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से आगणन अनुमोदित कराने के उपरान्त ही किया जाय।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-07-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण' की सुसंगत इकाईयों तथा लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-11-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-25/2017/712(1)/सैंतीस-2-2017- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in